**प्रेस विज्ञप्ति**

**2 2 .01 .2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 20.01.2025 को जवाहर लाल शाह को **पोंजी स्कीम मामले** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है । जवाहर लाल शाह को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं के तहत मेसर्स महुआ जेएलजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ दर्ज **प्राथमिकी** के आधार पर जांच शुरू की ।

ईडी की जांच से पता चला है कि जवाहर लाल शाह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महुआ ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महुआ ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, महुआ गव्य प्रसंकरण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड आदि विभिन्न कंपनियां/सहकारी समितियां बनाईं और लगभग 25-100 करोड़ रुपये एकत्र किए। जनता से उच्च रिटर्न देने के आश्वासन के साथ ऋण लिया गया। कंपनियों/सहकारी समितियों ने परिपक्वता पर निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न देने में विफल रहीं और अपने कार्यालय बंद कर दिए। निवेशकों के धन को स्तरीकृत और शोधित किया गया और जवाहर लाल शाह और उनके सहयोगी व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों में भेज दिया गया और जिसका कुछ हिस्सा अचल संपत्तियां हासिल करने में उपयोग किया गया।

जांच के दौरान, 07.01.2025 को बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पांच स्थानों पर जवाहर लाल शाह और अन्य सहयोगियों से जुड़े परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों सहित अपराध संकेती दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई।

आगे की जांच जारी है।